

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 132 / 2021

दिनांक : 18.08.2021

डॉ. टीना शर्मा (RJ0842), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर) को दिनांक 31.08.2021 से 12.10.2021 तक 43 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 28.08.2021 से 30.08.2021 एवं 13.10.2021 से 15.10.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिमरन कौर (RJ1081), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर) को डॉ. टीना शर्मा के उक्त अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्रीमती सिमरन कौर (RJ1081), जिनको वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
17.08.2021

क्रमांक:-स्था.बी.2 (4)/12/2015/5268

दिनांक : 18.08.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 24194 दिनांक 02.08.2021 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. टीना शर्मा (RJ0842), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर)।
5. श्रीमती सिमरन कौर (RJ1081), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी (अलवर)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार
18.8.2021